29

समक्षः माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर म0प्र0

राजस्व अपील क्र. ...../2018

अपील-6527/2018/कटनी/भू.रा

बुद्धु पिता कत्तू कोल
निवासी ग्राम बिहरिया तहसील ढीमरखेड़ा
जिला, कटनी म0प्र0

.....अपीलार्थी/आवेदक

– विरूद्ध –

मध्यप्रदेश शासन द्वारा
श्रीमान् अपर आयुक्त संभाग जबलपुर
श्रीमान् कलेक्टर महोदय, जिला कटनी)

.....प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत् धारा 44 (2) म.प्र. भू. रा. संहिता 1959

न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग के प्रकरण क्रमांक/1692/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 18.12.2018 एवं न्यायालय कलेक्टर महोदय, जिला कटनी के राजस्व प्रकरण क्रमांक/04/अ–21/2016–17 में पारित आदेश दिनॉक 25/06/2018 से व्यथित होकर अपीलार्थी निम्नांकित तथ्यों और आधारों पर यह अपील मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन करता हैः –

// प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य //

1. यह कि ग्राम बिहरिया, तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नंबर 41, 42 रकवा क्रमशः 0.25, 1.05 हे0 कुल रकवा 1.30 हे0 भूमि अपीलार्थी की भूमिस्वामी हक की पैत्रिक भूमि है। **खसरा अभिलेखों की प्रति संलग्न है जो संलग्नक पी/1 है।**
2. यह कि अपीलार्थी उमरियापान तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी में शिक्षक के पद पर सेवारत है। उपरोक्त भूमि कृषि कार्य हेतु उपयुक्त न होने के कारण

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 6527/2018/कटनी/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
/5 .1.19	यह अपील अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण कमांक 1692/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 18.12.18 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलाथी द्वारा ग्राम बिहरिया तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी स्थित भूमि खसरा कमांक 41, 42 रकवा कमशः 0.25, 1.05 हैक्टेयर कुल रकवा 1.30 हैक्टेयर भूमि अपीलार्थी की पैत्रिक है। अपीलार्थी उमरियापान तहसील ढीमर खेड़ा जिला कटनी में शिक्षक के पद पर सेवारत है। उपरोक्त भूमि कृषि कार्य हेतु उपयुक्त ना होने के कारण उसे बेचकर अपनी अन्य भूमियों को अधिक कृषि योग्य बनाने तथ उन्नत कृषि कार्य करने हेतु विकय कर प्राप्त आय से उक्त कार्य करना चाहता है, लेकिन अपीलार्थी आदिवासी जाति वर्ग का व्यक्ति है। अतः उपरोक्त भूमि खसरा कमांक 41, 42 रकवा कमशः 0.25, 1.05 हैक्टेयर को विकय की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला कटनी के समक्ष प्रकरण कमांक 04/अ–21/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 25/06/18 निरस्त कर दिया गया। इससे दुखित होकर अपीलार्थी द्वारा अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसमें आदेश दिनांक 18/12/18 से कलेक्टर का आदेश स्थिर रखते हुए	

प्रकरण निरस्त किया गया। जिससे दुखित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमों में उठाय गए बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकगण के तर्क सुने तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया।

4/ अपीलार्थी द्वारा कलेक्टर के न्यायालय में यह बताया गया था कि अपीलार्थी भूमि को विक्रय करने के पश्चात उसके पास ग्राम बिहरिया तहसील ढीमरखेडा में खसरा न0 34, 63 रकबा 0.05, 0.49 है0 कुल रकबा 0.54 है0 भूमि एवं ग्राम बिहरिया में खसरा न0 81, 106 कुल रकबा 2.07 है0 भूमि है, इसके अतिरिक्त अपीलार्थी की पत्नि के नाम ग्राम भनपुरा कला तहसील ढीमरखेडा में खसरा न0 456/1 कुल रकबा 1.02 है0 भूमि है। इस प्रकार अपीलार्थी के पास अतिरिक्त भूमि के रूप में कुल 3.63 है0 सिंचित भूमि शेष बचती है जो अपीलार्थी व उसके परिवार के भरण–पोषण के लिए पर्याप्त भूमि है इसके अतिरिक्त शासकीय कर्मचारी भी है जिसे सेवा निवृत्त के बाद पेंशन प्राप्त होगी। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्य पर विचार किये बिना अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जो आदेश पारित किया है वह अपास्त किये जाने योग्य है। अंत में अधिवक्ता द्वारा तर्क किया है कि अपील स्वीकार कर भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया है।

5/ अधिवक्ता के तर्को पर एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि ग्राम बिहरिया तहसील ढीमरखेडा में खसरा न0 34, 63 रकबा 0.05, 0.49 है0 एवं खसरा न0 81, 106, कुल रकबा 2.07 है0 भूमि के

अलावा अपीलार्थी की पत्नि के नाम ग्राम भनपुरा कला तहसील ढीमरखेडा में खसरा न0 456/1 कुल रकबा 1.02 है0 स्थित है। इस प्रकार अपीलार्थी के पास भूमि 3.63 है0 सिंचित शेष बचती है। जो अपीलार्थी एवं उसके परिवार के भरण–पोषण के लिए पर्याप्त भूमि है इसके अतिरिक्त अपीलार्थी शासकीय सेवा में कार्यरत है जिसे सेवा निवृत्ति के पश्चात पेंशन प्राप्त होगी। उपरोक्त भूमियां अपीलार्थी को शासन द्वारा पट्टे पर प्रदाय नहीं की गई है बल्कि अर्पीलार्थी की स्वअर्जित संपत्ति है।

6/ नायब तहसीलदार ढीमरखेडा ने अपनी आदेश पत्रिका दिनांक 27/09/2017 में उपरोक्त भूमि को विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने की अनुशंसा सहित अनुविभागीय अधिकारी को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नायब तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर अनुशंसा सहित कलेक्टर जिला कटनी को प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विचार करने में वैधानिक त्रुटि की है। अपीलार्थी को भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त नहीं हुई है उसके द्वारा स्वअर्जित की गई है। चूंकि आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी गई है। अपीलार्थी द्वारा शेष भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु कृषि यंत्र अन्य संसाधन हेतु भूमि विक्रय के जो कारण बताये गये हैं उन्हें देखते हुए तथा अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए कि उसके साथ कोई छल कपट नहीं हो रहा है। बल्कि केता द्वारा उसे कलेक्टर गाइडलाईन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है। अपीलार्थी को उसकी भूमि स्वामित्व की भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अडचन प्रतीत नहीं

होती है। अतः प्रकरण की समग्र स्थिति पर विचार करने के पश्चात दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर का प्रकरण कमांक 1692/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 18/12/2018 एवं कलेटर जिला कटनी द्वारा प्रकरण कमांक 4/अ–21/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 25/06/2018 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा अपीलार्थी को ग्राम बिहरिया तहसील ढीमरखेडा जिला कटनी में स्थित भूमि खसरा न. 41, 42 रकबा कमशः 0.25, 1.05 है0 कुल रकबा 1.30 है0 भूमि विकय की अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि केता द्वारा वर्तमान वर्ष की गाइड लाईन से भूमि का मूल्य अदा किया जायेगा। उपपंजीयक को निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) बैंकर चैक/बैक ड्राफ्ट/नेट बैंकिग से अपीलार्थी के खाते में जमा की जायेगी। परिणामस्वरूप अंपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।

सदस्य